बैठक स्थगन की सूचना

संख्या-16/2016/1262(4)/55-पर्या-16-43(पर्या)/14

प्रेषक,

श्री उमेश चन्द्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव/सचिव
लोक निर्माण/नगर विकास/ऊर्जा/आवास एवं शहरी नियोजन/कृषि/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सिंचाई एवं जल संसाधन/औद्योगिक विकास/ गृह/वन/भूतत्व एवं खनिकर्म/परिवहन/भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई/ राजस्व/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- जिलाधिकारी,
सोनभद्र/सिद्धार्थनगर/बस्ती/संतकबीर नगर/गोरखपुर/बांदा/सहारनपुर/ कानपुर देहात/कानपुर नगर/गाजियाबाद/मुजफ्फरनगर/बागपत/मेरठ/ बुलन्दशहर/मुरादाबाद/लखनऊ/शामली/गौतमबुद्धनगर।

3- निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,लखनऊ।

5- उप निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

6- क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद।

पर्यावरण अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2016

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक स्थगन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक-1262/55-पर्या-16-43(पर्या)/14 दिनांक 28 मार्च, 2016 तथा संख्या-15/2016/1262(2)/55-पर्या-16-43(पर्या)/14 दिनांक 28 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित प्रकरणों की दिनांक 31 मार्च, 2016 को पूर्वान्ह 12-00 बजे से बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

2- बैठक की आगामी तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2016/1262(5)/55-पर्या-16-43(पर्या)/14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- व्यवस्थाधिकारी, मुख्य भवन, उ0प्र0 सचिवालय ।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के अवगतार्थ।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।